



प्रेस विज्ञप्ति  
06.03.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गंगटोक उप-आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 65.46 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। यह कार्रवाई दोरजी शेरिंग लेप्चा, पूर्व महाप्रबंधक (संचालन), एसबीएस द्वारा स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम (एसबीएस) से धन की हेराफेरी और शोधन के संबंध में की गई है। कुर्क की गई संपत्तियों में 4 अचल संपत्तियां शामिल हैं, जिनमें सिक्किम के देवराती, सियारी, रानीपूल और पेनलॉग में स्थित आवासीय भवन और भूमि पार्सल शामिल हैं। पाया गया कि ये संपत्तियां एसबीएस से धन की धोखाधड़ी से प्राप्त अपराध की आय (पीओसी) का उपयोग करके अर्जित की गई थीं। अचल संपत्तियों के अलावा, दोरजी शेरिंग लेप्चा और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर बैंक बैलेंस और सावधि जमा, कुल मिलाकर लगभग 53.41 करोड़ रुपये भी कुर्क किए गए हैं।

ईडी ने आईपीसी, 1860 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की विभिन्न धाराओं के तहत सीआईडी-पीएस, गंगटोक द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। बाद में जांच सिक्किम सतर्कता पुलिस को स्थानांतरित कर दी गई।

ईडी की जांच से पता चला है कि स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम में जनरल मैनेजर (ऑपरेशंस) के पद पर काम करते हुए दोरजी शेरिंग लेप्चा ने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की, जिसमें "एई रोड्स एंड ब्रिजेज डिपार्टमेंट, सिक्किम सरकार" के नाम से एक फर्जी बैंक खाता खोलना शामिल था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के लेन-देन के लिए एसबीएस द्वारा बनाए गए जनरल लेजर (जीएल) खातों में हेराफेरी करके इस खाते में धोखाधड़ी से धनराशि जमा की गई थी। बाद में इन निधियों को दोरजी शेरिंग लेप्चा, उनकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों और सहयोगियों के निजी खातों में भेज दिया गया। जांच में ब्याज आय बढ़ाने के लिए धोखाधड़ी से सावधि जमाओं में हेराफेरी का भी पता चला।

इसके अलावा, 14.02.2025 को ईडी द्वारा दोरजी शेरिंग लेप्चा से जुड़े कई परिसरों पर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान, विभिन्न संपत्ति खरीद से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए, और दोरजी शेरिंग लेप्चा से जुड़े विभिन्न बैंक खातों से लगभग 75 लाख रुपये जब्त किए गए।

आगे की जांच जारी है।